संख्या- 11/2017/1560/एक-4-17-रा0-4

प्रेषक,

धीरज पाण्डे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।
2- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल ।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर,2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डलायुक्त इलाहाबाद हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 मे मण्डलायुक्त कार्यालय हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु विशेष परिस्थितियों मे अपर आयुक्त के निष्प्रयोज्य वाहन संख्या-यू0पी0-70-ए0जी0-441 के प्रतिस्थापन स्वरूप मण्डलायुक्त इलाहाबाद के उपयोगार्थ इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 मे अवशेष धनराशि रूपयें 63,75,554/- में से रूपया-12,65,539/- (रूपये बारह लाख पैसठ हजार पॉच सौ उन्तालीस मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो का क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अर्न्तगत ही किया जायेगा।

(3) भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख है। अत: प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल/प्रोफार्मा इनवाइस की दरो पर ही किया जायेगा।

(4) मण्डलायुक्त इलाहाबाद के निष्प्रयोज्य वाहन संख्या-यू0पी0-70-के0-1111 हेतु भुगतानित धनराशि रूपये-4,80,551/- ब्याज सहित हिन्दुस्तान मोटर्स से वापस प्राप्त होने के उपरान्त ही उसके स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप बोलेरो वाहन ही क्रय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-आयोजनेत्तर-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-677/दस-2017 दिनांक; 25 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

संख्या-11/2017/1560(1)एक-4-17-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2।
6- राजस्व अनुभाग-6
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।